उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 186 /2024/1259/35-1-2024
लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) की कार्य प्रणाली में सुधारात्मक आधुनिक तकनीकी के परिणामपरक उपयोग हेतु नियोजन विभाग, उ0प्र0 मे प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग में सलाहकार का एक अस्थायी नि:संवर्गीय पद दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक के लिए एतदद्वारा महामहिम राज्यपाल सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं बशर्ते कि उक्त पद इसके पूर्व ही समाप्त न कर दिया जाय। उक्त सृजित पद पर श्री जितेन्द्र कुमार बांगा, सेवानिवृत्त, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजन किया जाता है:-

(1) पुनर्योजित कार्मिकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिकों के अन्तिम आहरित मूल वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आए अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य न होगी।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिये नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3) पुनर्योजित सरकारी सेवक को अस्थाई कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग- 2-4,के सहायक नियम 157-ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(4) पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम 16-ए में प्राविधानित है।

2. उपरोक्त से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092 अन्य कार्यालय-03 राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या: E-5-149-X-2024-25, दिनांक: 27-12-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 186 /2024/1259(1)/35-1-2024- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- महानिदेशक, राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ।
10- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त विभागाध्यक्ष, नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12 - मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन ,लखनऊ
13 - आहरण -वितरण अधिकारी , राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ।
14 - नियोजन अनुभाग-2, 3, 4, नियोजन(लेखा)अनुभाग तथा स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन, अनुभाग-1 / 2
15 - श्री जितेन्द्र कुमार बांगा, सेवानिवृत्त, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, निवास:- 7 , सेक्टर -9 , इंदिरा नगर ,लखनऊ-226016
16 - गार्ड फाइल /वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।